

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 अगस्त 2017 — श्रावण 14, शक 1939

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-42/2012/12. — खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 6 में,—
(एक) खण्ड (क) में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
“परन्तु यह और कि अनुसूची-एक के भाग-ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के लिये, सक्षम प्राधिकारी द्वारा तब तक उत्खनन पट्टा अनुमोदित नहीं किया जायेगा, जब तक कि पट्टे के लिये आवेदित क्षेत्र, पूर्व से पूर्वक्षित न हो।”
(दो) खण्ड (ख) में, शब्द “भाग-ख,” तथा शब्द “छः मीटर की सीमित गहराई तक” का लोप किया जाये।
- नियम 7 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क) में, शब्द तथा चिन्ह “इस नियम के प्रावधान अनुसूची-एक तथा अनुसूची-दो के भाग-क में विनिर्दिष्ट खनिजों पर लागू होगी” के स्थान पर, शब्द “इस नियम के प्रावधान अनुसूची-एक के भाग-क एवं भाग-ख पर लागू होंगे” प्रतिस्थापित किया जाये।
- नियम 58 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (एक) में,—
(एक) शब्द, चिन्ह तथा विरामचिन्ह “अनुसूची-एक के भाग-ख के सरल क्रमांक 11 में विनिर्दिष्ट गौण खनिज डोलोमाईट, जिसमें अट्टारह प्रतिशत से कम MgO और छः प्रतिशत से अधिक SiO₂ हो, अनुसूची-एक के भाग-ग और अनुसूची-दो के भाग-क में विनिर्दिष्ट किसी खनिज” के स्थान पर, शब्द, चिन्ह तथा विरामचिन्ह “अनुसूची-एक के भाग-ग और अनुसूची-दो के भाग-क में विनिर्दिष्ट खनिजों” प्रतिस्थापित किया जाये, और

- (दो) खण्ड (एक) के परन्तुक में, "परन्तु यह कि" के स्थान पर, शब्द "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित किया जाये और ऊपर उक्त परन्तुक में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
- "परन्तु यह कि छः मीटर से अधिक गहराई के खनन हेतु उत्खनन अनुज्ञापत्र, केवल नियम 6 के उप-नियम (ख) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खनिज उपलब्धता की पुष्टि उपरान्त ही, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।"
4. अनुसूची-एक में, भाग ग में, सरल क्रमांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
- "6. डोलोमाईट (जिसमें अट्टारह प्रतिशत से कम MgO हो अथवा छः प्रतिशत से अधिक SiO₂ हो), जो भवन, सड़क के निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य में, निर्माण सामग्री के रूप में प्रयुक्त हो।"
5. प्ररूप-बाईस क के सरल क्रमांक 2 के खण्ड (सत्रह) का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफफत आरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 6-42/2012/12. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 05 अगस्त, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफफत आरा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th August 2017

NOTIFICATION

No. F 6-42/2012/12. — In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (No.67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

I. In rule 6, -

(i) in clause (a), for second proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided further that the quarry lease for minerals specified in Part B of Schedule-I shall not be approved by the Competent Authority unless the area applied for the lease is prospected earlier."

(ii) in clause (b), the words "confined to the depth of six meters" and "Part B and" shall be omitted.

2. In rule 7, in sub-rule (1), in clause (a), for the words and symbols "The provisions of this rule shall be applicable to the minerals specified in Schedule-I and Part A of Schedule-II", the words "The provisions of this rule shall apply to Part A and Part B of Schedule-I." shall be substituted.
3. In rule 58, in sub-rule (1), in clause (i),-
 - (i) for the words, symbols and punctuations "Minor Mineral dolomite specified at Serial Number 11 of Part B of Schedule-I in which MgO is less than eighteen percent and SiO₂ is more than six percent, any mineral specified in Part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II", the words, symbols and punctuations "minerals specified in Part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II" shall be substituted; and
 - (ii) in the proviso of clause (i), for the words "Provided that", the words "Provided further that" shall be substituted and above the said proviso, the following shall be inserted, namely:-

"Provided that, quarry permit for mining deeper than six meters shall be approved by the Competent Authority only after a confirmation of availability of minerals by the Authorized Officer under sub-rule (b) of Rule 6."
4. In Schedule-I, in Part C, after serial number 5, the following shall be added, namely :-
 - "6. Dolomite (in which MgO is less than eighteen percent or SiO₂ is more than six percent) used in construction of buildings, roads and other construction work in the form of a construction material."
5. Clause (xvii) of serial number 2 of Form XXIIA shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Joint Secretary.